इकाई 6 स्वायत्ता आन्दोलन*

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 संविधानिक प्रावधान और क्षेत्रीय स्वायत्ता

6.3 स्वायत्ता आंदोलन की विशेषताऐं

6.4 स्वायत्ता आंदोलन के उदाहरण

6.4.1 ''राज्य के अंदर राज्य'' और स्वायत्ताः मेघालय

6.4.2 पृथक राज्य से स्वायत्ताः बोडो आंदोलन

6.4.3 बोडो आंदोलन का संदर्भः उल्फा

6.4.4 'कार्बी और डिमासा काचारी स्वायत्ता आंदोलन

6.5 सारांश

6.6 संदर्भ

6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप सकेंगे :

- संघीय ढ़ाँचे में स्वायत्ता के अर्थ को समझना;
- संघीय ढ़ाँचे में भारतीय संविधान में स्वायत्ता के प्रावधानों की व्याख्या करना; तथा
- भारत में स्वायत्ता आंदोलन के उदाहरणों की चर्चा करना।

6.1 परिचय

स्वायत्ता आंदोलन किसी क्षेत्र के लोगों का सामूहिक प्रक्रिर्या है जो कि संघीय इकाइयों केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय शासन के पुनर्गठन की बात करता है। ताकि लोग स्वयं को अपने कार्यो में व्यवस्त रख सकें और स्वायत्ता का लाभ उठा सकें।

स्वायत्ता कई प्रकार की होती है, सांस्कृतिक, जातीय, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि। जो क्षेत्र स्वायत्ता की माँग उठा रहे हैं उनमें इन मुद्दों पर कानून बनाने की जरूरत होती है। संघीय ढ़ाँचे में स्वायत्ता की अवधारणा के कई अर्थ हैंः किसी राज्य से अलग राज्य बनाना, या संघीय संबंधों को पुनः व्यवस्थित करना इत्यादि। स्वायत्ता को प्रायः आत्म-निर्णय के रूप में देखा जाता है। हालांकि स्वनिणर्य और स्वायत्ता कभी-कभी एक दूसरे के प्रयास के रूप में इस्तेमाल की जाती है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनके अलग-अलग माने है। आत्म-निर्णय अक्सर मौजूदा संप्रभु राज्य से बाहर एक संप्रभु की स्थापना को संदर्भित करता है। इसे अलगाव के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें एक देश का एक क्षेत्र अलग-अलग और प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बनाना चाहता है। भारत का संविधान किसी भी क्षेत्र को प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की स्थापना को मान्यता नहीं देता हैं। किसी राज्य के क्षेत्र में क्षेत्र और राज्य के बीच संघीय संबंधों की पुनर्व्यवस्था के लिये जो आंदोलन चलाया जो रहा हो, उसे

*प्रो. जगपाल सिंह, राजनीति विज्ञान संकाय, इग्नू, नई दिल्ली

स्वायत्ता आंदोलन कहा जाता है। क्षेत्रीय, जिला या क्षेत्रीय परिषदों जैसे प्रशासनिक साधनों के सृजन और प्रशासनिक उपायों द्वारों ऐसी स्वायत्ता की माँग की जाती है। एक या अधिक राज्यों के अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन को पृथक राज्य आंदोलन कहा जाता है। यह आप इकाई 8 में पढेंगे। भारत के गणतंत्र से बाहर प्रभुसत्ता संपन्न राज्य स्थापित करने का प्रयास करने वाले आंदोलन को विद्रोह कहा जाता है। आप इसके बारे में इकाई 7 में पढ़ेंगे। इस इकाई में आप स्वायत्ता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे।

6.2 संविधानिक प्रावधान और स्वायत्ता

भारत एक संघीय राज्य व्यवस्था है जिसमें 28 राज्यों और 11 केन्द्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया है। इनमें से प्रत्येक राज्य में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विभिन्न सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूह हैं तथा विकास के असमान स्तर है। जैसा कि भारत संघीय प्रणाली का अनुसरण करता है, भारत में राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित कानूनों के अधिनियम का विनियमन संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। राज्यों और संघ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों की तीन सूचियाँ है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में जाना गया है। ये प्रावधान लोगों की शिकायतों के समाधान के लिये हैं; यदि वे राज्यों के वर्तमान सीमाओं के भीतर शक्ति संबंधों की व्यवस्था से संतुष्ट न हों। छठी अनुसूची (अनु. 244) में पूर्वोत्तर भारत के चार राज्यों में स्वायत्त निकायों-स्वायत्त शिक्षा, क्षेत्रीय या क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण के प्रावधान है। ये राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम। अनु. 371 जो कि अनु. 371 (ए) से लेकर (जे) तक है, ये उत्तर पूर्व के राज्यों - नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिज़ोरम और अरूणाचल प्रदेश के लिए है तथा अन्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, गोआ और कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान हैं। इस अनुच्छेद का उद्देश्य पिछड़ें क्षेत्रों की संस्कृति और पारंपरिक कानूनों की सुरक्षा के लिये विशेष सहायता प्रदान करना है। अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में लोगों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिये उपकरण के तौर पर इनर लाईन परमिट (आई.एल.पी.) मौजूद है। इस उपाय के अंतर्गत, भारत का निवासी, जो इन राज्यों का निवासी नहीं है, केन्द्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही उसमें प्रवेश कर सकता है। इसे आई.एल.पी. कहते हैं। मेघालय, और मणिपुर जैसे राज्यों में भी आई.एल.पी. लागू करने की माँग उठ रही हैं। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नये राज्यों के निर्माण और राज्यों के भीतर क्षेत्रों को स्वायत्ता देने के लिए भी संविधान में प्रावधान किये गये हैं। जैसा कि आप इकाई 8 में पढ़ेंगे, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संघ में नये राज्य बनाये जा सकते हैं। 73वें और 74 वें संविधान संशोधन में ऐसे विषय हैं जो क्रमशः ग्रामीण और शहरी स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

6.3 स्वायत्त आंदोलन की विशेषताएँ

हालांकि स्वायत्ता आंदोलनों का उद्देश्य अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आए बिना राज्य के पुनर्गठन वाले क्षेत्रों के बीच शक्ति संबंधों को स्थापित करना है, फिर भी सभी स्वायत्ता आंदोलनों की यह पहली माँग नहीं थी। कुछ स्वायत्ता के आंदोलनों ने एक या अधिक राज्यों में से पृथक राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया, किंतु आंदोलन के दौरान मौजूदा राज्य में स्वायत्ता प्राप्त करने की उनकी माँग को छोड़ दिया गया। मेघालय के मामले में आंदोलन ने असम को पृथक राज्य बनाने के अपने उद्देश्य से शुरू किया, लेकिन अलग राज्य के समर्थकों ने सन् 1971-1972 में राज्य के भीतर एक राज्य का दर्जा स्वीकार कर लिया। पृथक राज्य के आंदोलन और विद्रोह की माँग की तरह, स्वायत्ता आंदोलनों को

निम्नलिखित विशेषताऐं हैं :

1) ये उन क्षेत्रों में उठाये जाते हैं जहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव होता है। ये भेदभाव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक तौर पर संसाधनयुक्त क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

2) इन माँगों को समाज के मुखर तबकों द्वारा उठाया जाता है जैसे मध्यम वर्ग, छात्र, नागरिक समाज के संगठन एवं राजनैतिक दल।

3) स्वायत्ता की माँग करने वालों का आरोप है कि उनका क्षेत्र ''आंतरिक उपनिवेश'' बन गया है, विशेषकर विकसित क्षेत्रों का 'उपनिवेश'। उनके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण बाहरी लोगों द्वारा दिया जाता है तथा वे उन्हें अपने संसाधनों के प्रयोग बदले कोई भरना रोयल्टी भी नहीं मिलती।

4) उनके क्षेत्र को राज्य के राजनीतिक संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है तथा उनकी सहमति के बिना निर्माण लिये जाते हैं।

5) उनकी भाषा एवं संस्कृति को उचित पहचान नहीं दी जाती हैं तथा कई मामलों में उनके ऊपर भाषा थोपी जाती है।

6) स्वायत्ता आंदोलनों का कुछ राजनैतिक संदर्भ भी होता है।

भारत में स्वायत्ता आंदोलन के ये कुछ समान कारक हैं, लेकिन उनका प्रभाव एवं आकार से अलग-अलग क्षेत्रों में अलग होता है।

अभ्यास प्रश्न 1

नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) स्वायत्ता आंदोलनों से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) स्वायत्ता आंदोलनों की क्या-क्या विशेषताऐं है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.4 स्वायत्ता आंदोलनों के उदाहरण

आप इस इकाई में स्वायत्ता संबंधी आंदोलनों के बारे में कुछ उदाहरणों के बारे में नीचे पढ़ेंगे। पृथक राज्य की माँग के बाद मेघालय को स्वायत्त राज्य में तबदील कर दिया गया था। असम में बोडोलैण्ड की माँग को नकार दिया गया तथा इसके स्थान आसाम राज्य के अंदर ही बोडो लोगों को स्वायत्ता दी गई और कार्बी तथा डिमासा काचरी लोग जो पहले पृथक राज्य की माँग कर रहे थे, ने स्वायत्ता मांगा।

6.4.1 ''राज्य के अंदर राज्य'' और स्वायत्ताः मेघालय

मेघालय का प्रकरण एक ऐसा उदाहरण है, जहाँ असम के बाहर एक पहाड़ी राज्य के निर्माण की माँग की गयी, लेकिन एक अलग राज्य के बजाय एक स्वायत्त राज्य का निर्माण असम के अंदर किया गया। यह ''राज्य के अंदर एक राज्य'' के तहत् किया गया था। जो सन् 1970-72 के दौरान अस्तित्व में था। हालांकि 1960 के दशक में असम के ही भाग में मेघालय के आदिवासियों ने ''खासी और गारो हिल्स के आदिवासियों ने अलग राज्य की माँग की, यह माँग 1950 के दशक में उठी थी। ये असाम के उन क्षेत्रों में से थे जिनका प्रशासन छठी अनुसूची के अनुसार चलता था। छठी अनुसूची क्षेत्र के लोग उसके प्रावधानों से संतुष्ट नहीं थे। उनका तर्क था कि इससे उनके हितों की समुचित सुरक्षा नहीं हुई थी और असम के मैदानी इलाकों के लोगों के साथ उनका उचित व्यवहार नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, असम जातीय महासभा के प्रस्ताव से असमी भाषा को असम के लिए सरकारी भाषा बनाया गया उस समय के आसाम में वे पहाड़ी क्षेत्र भी आते थे जहाँ गैर आसामी बोलने वाले लोग रहते थे। असम जातीय महासभा के प्रस्ताव से गैर असमी बोलने वाले लोग नाराज हो गये। इस संदर्भ में, गारो हिल्स परिषद के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष विल्यम संगमा ने 16-17 जनवरी 1950 को सभी जिला परिषदों अध्यक्षों की बैठक बुलाई। इस बैठक में लुसाई, उत्तरी कचार गारो एवं संयुक्त जनजाति खासी परिषदों के अध्यक्षों (CEMS) ने भाग लिया परन्तु इसमें मिखिर हिल्स जिला परिषद के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। इस बैठक में दो बिंदुओं पर चर्चा हुई : एक अलग पहाड़ी राज्य का गठन और छठी अनुसूची में संशोधन क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्रों को कोई वास्तविक स्वायत्ता प्रदान नहीं करता है। संगमा ने जोर दिया कि पहाड़ी राज्य के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मिर्जा जिला परिषद अध्यक्ष (CEM) का तर्क था नये राज्य की माँग जभी रखी जा सकती है जब स्वायत्ता की माँग को अस्वीकार किया गया हो। इस बैठक के छठी अनुसूची के संशोधन के लिए सुझाव को कई संसद सदस्यों को भेजे गये। इस बैठक के बाद, 1954, 6-8 अक्टूबर को असम पहाड़ी आदिवासी नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया। इस बैठक में 46 प्रतिनिधियों (मिजो हिल्स को छोड़कर) ने भाग लिया। सम्मेलन में सर्वसम्पति से असम के ''स्वायत्त जिलों का एक अलग राज्य'' घोषित किया जाए और सम्मेलन ने राज्य पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय पुर्नगठन आयोग को ज्ञापन भेजा। आयोग ने इस माँग को इस आधार पर खारिज कर दिया कि, पृथक राज्य का आंदोलन जंतिया, खासी, गारो हिल्स तक सीमित था, इसमे असम के अन्य क्षेत्र शामिल नहीं थे। पटसकर आयोग ने अलग राज्य के लिए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एक अलग राज्य की बजाय, एक स्वायत्त राज्य, जिसका नाम मेघालय के नाम से जाना गया, 1 अप्रैल, 1970 का असम राज्य के भीतर निर्माण किया गया। इसे 22वें संशोधन के अनुसार असम (मेघालय) पुनर्गठन विधेयक, 1969 पारित होने के पश्चात बनाया गया। स्वायत्त राज्य में शक्ति वितरण की तीन स्तरीय प्रणाली थी। कार्यपालिका शक्ति को असम के राज्यपाल को सौंप दिया गया, जिसे असम में स्वायत्त मेघालय राज्य के मंत्रियों की परिषद के द्वारा सहायता और परामर्ष देने का प्रावधान था। विधायी लोकसभी की सदस्यता से मेघालय में सभी भारतीयों को सदस्यता से संबंधित

विधान सभा का गठन किया। सिवाय शीलोंग के जहाँ सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई तथा राज्यपाल को विधान सभा में तीन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नामांकित करने का अधिकार दिया गया। ये ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय थे जिन्हें राज्यपाल की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। असम के राज्यपाल को जनजातीय गाँव में अपील की अदालन बनाने का अधिकार दिया गया। असम से मेघालय की विधानसभाओं को कृषि, वन, यातायात, संचार आदि पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। असम और मेघालय के बीच शक्तियों के वितरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1972 में मेघालय एक अलग राज्य बन गया।

6.4.2 अलग राज्य से स्वायत्ताः बोडो आंदोलन

असम के बोडो आदिवासी कई वर्षों से स्वायत्ता की माँग कर रहे हैं। बोडो स्वायत्ता आंदोलन दो चरणों से होकर गुजरा हैः पहला, 1960 के दशक के अंत से 1979 तक तथा दूसरा, 1979 से 1985 तक अर्थात् आसू आंदोलन के पश्चात्। बोडो आंदोलन की दो प्रमुख माँगें रही हैं। एक असम राज्य से अलग राज्य बनाना तथा दूसरा, राज्य के भीतर की स्वायत्ता प्राप्त करना। प्रारंभिक वर्षों में बोडो आंदोलन की प्रमुख माँग अलग बोडोलैंड राज्य के गठन की माँग थी। 1967 में शुरू हुए इस आंदोलन का पृथक चरण नये उद्यांचल राज्य की माँग के लिए था। 1963 में नागालैण्ड की स्थापना के पश्चात् बोडोलैण्ड की भी माँग उठने लगी थी जैसा कि असम से अलग मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश इत्यादि। जबकि असम के पहाड़ी इलाकों को मिलाकर 1972 में असम राज्य मेघालय का गठन किया गया था तथा अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम को केन्द्र शासित प्रदेश बनाये गये। तथा 1963 में नागालैण्ड पहले से अलग राज्य बन गया था, इसलिये बोरोलैण्ड की माँग ने जोर नहीं पकड़ा।

बोडो स्वायत्ता आंदोलन का अगला चरण 1987 में शुरू हुआ था, 1985 में असम समझौतें पर हस्ताक्षर होने के पश्चात यह आंदोलन इस चरण में और ज्यादा तेज हुआ। अन्य बहुत से स्थानीय समूहों की तरह बोडो समुदाय ने भी आसू के नेतृत्व में विदेशियों के खिलाफ चलाये गये आंदोलनों में हिस्सा लिया था। लेकिन असम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनको यह महसूस हुआ कि उसकी सांस्कृतिक स्वायत्ता और राजनीतिक अधिकारों को असम के प्रभुत्व समूह महत्ता नहीं देते हैं। बोडो के अंदर यह भावना विकसित हुई कि, असम समझौते के बाद भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने असम आंदोलन (1979-85) में भाग लिया था। उनका मानना था कि असम समझौते का क्लोज 6 (धारा 6) उनके सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों के खिलाफ था। बोडो समुदाय की नजर में, यह धारा उनकी पहचान को नष्ट कर देगी एवं इसके परिणामस्वरूप उनकी पहचान उच्च जाति की पहचान में मिल जायेगी। संजीब बरूआ की पुस्तक ''इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ'' के एक अध्याय में है बोडो समुदाय ने कहा है ''कि हम बोडो हैं, न कि असमी''। इससे उनकी पहचान को साबित करने का प्रयास किया गया था। अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिये अखिल भारत बोडो स्टूडेंट यूनियन ने 92-सूत्री चार्टर तैयार किया गया जिसे बोडोलैण्ड के प्रचार में प्रयोग किया गया था। संजीब बरूआ ने इन माँगों को तीन श्रेणीयों में वर्गीकृत किया हैः सांस्कृतिक एवं भाषाई, आर्थिक अवसर और विकास, तथा आंतरिक माँगें। बोडो समुदाय की विशेष संस्कृति उनकी पौशाक, भाषा, खान-पान, इत्यादि है, जो कि असमी संस्कृति से अलग है।

1993 से बोडो आंदोलन का फोकस कोकराझार, बाकसा, चिरांग और उडाल्गढ़ जिलों में ज्यादा था। इसका मकसद भी बोडो स्वायत्ता की माँग ही था। सरकार और बोडो के बीच 1993, 2003 एवं 2020 में समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें बोडो होमलेंड के विषय

के फॉकस में कमी आई। लेकिन बोडो का एक गुट अभी भी बोडोलैण्ड राज्य की माँग कर रहा था। 1993 के बोडो समझौते के तहत् बोडोलैण्ड स्वायत्ता परिषद (बीएसी) का गठन किया गया था। तथापि इसमें परिषद (बीएसी) के क्षेत्राकिकार की परिभाषा नहीं दी गई थी। इस कारण यहाँ कोई चुनाव भी नहीं हो सका। 1996 तक, बोडो ने फिर से बोडोलैण्ड की माँग की। परन्तु दो मिलिटेंट गुटों ने बोडो परिषद को मानने से इन्कार कर दिया, इनमें बोडोलैण्ड आर्मी और बोडोलैण्ड लिबरेशन फोर्स (बी.एल.टी.एफ.) शामिल थे। उन्होंने इस परिषद को ''दिसपुर की कठपुतली बताया था। 2003 में बोडो समझोते के बाद बोडोलैण्ड टेरिटोरियल कॉउसिल का गठन किया गया। इस परिषद का अधिकार क्षेत्र 3082 गाँव तक बढ़ा दिया गया तथा इसे 40 विषयों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें एक प्रमुख और उप-प्रमुख सहित अधिकतम 12 कार्यकारी सदस्यों की कार्यकारी परिषद की व्यवस्था की गई। इसमें गैर-आदिवासी लोगों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की। तीसरे बोडो समझौते पर जनवरी, 2020 में केन्द्रीय गृहमंत्रालय, राज्य सरकार और बोडो समूहों के बीच हस्ताक्षर किये गये। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। केन्द्रिय और राज्य सरकारों के अलावा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में आंतकवादी समूह के लोग भी शामिल थे जिन्होंने पहले हस्ताक्षर नहीं किये थे। बोडो टेरेटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) के स्थान पर बोडो टेरीटोरियल रीज़न (बी.टी.आर.) बनाय गया। सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें आदिवासी लोगों को शामिल करने का कोई तरीका सुझाया जायेगा। इसी तरह, जिन गाँवों में गैर-अधिकारी लोग रह रहे हैं, उन्हें बी.टी.आर. के क्षेत्र से बाहर रखा जायेगा। बी.टी.आर. के पास विधायी, कार्यपालिका, आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकार होंगे। इस समझौते के तहत् असम के अंदर ही स्वायत्ता का प्रावधान किया गया तथा पृथक राज्य के मुद्दे को दूर रखा गया। 250 करोड़ रूपये की राशि प्रतिवर्ष क्षेत्र के विकास के लिये रखी गयी तथा इतनी ही राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी। बी.टी.आर. में सीटों की संख्या भी 40 से बढ़ाकर 60 की जायेगी।

6.4.3 बोडो आंदोलन का संदर्भः उल्फा

बोडो समुदाय का असम समझौते की धारा छः पर संदेह के अलावा दूसरे 1985 से बोडोलैण्ड आंदोलन का अन्य कारण थाः उच्च जाति प्रभुत्व वाले उल्फा द्वारा असम की प्रभुसत्ता संपन्न राज्य के लिये माँग की, जिसमें असम राज्य के ऐसे समतल क्षेत्र शामिल किए थे जिनमें बोडो लोग रहते हैं। उल्फा एक संप्रभु राज्य, स्थापित करना चाहता था क्योंकि यह अहोम राज्य के रूप में पहले विद्यमान था और अहोम राज्य को ब्रिटिश भारत में मिलाने के कारण भारत इसकी सम्प्रुता के साथ समझौता किया गया था। उल्फा के आसू के साथ मतभेद थे। इसका कारण यह है उल्फा के अनुसार कि असम के सभी लोग जो असम की संस्कृति और भूमि पर विश्वास करते हैं और उनका आदर करते हैं, वे सभी असम के लोग है, भले ही उनके मूल स्थान और जातीयता अलग हो। लेकिन आसू के लिये 31 दिसम्बर, 1971 के बाद आये। बांग्लादेशी विदेशी थे जिन्हें असम से निश्कासित करने की जरूरत थी। 1983 में हुए विधानसभा चुनाव में कॉंग्रेस की जीत तथा हितेश्वर सेखिया की सरकार बनने के बाद असम में उल्फा की स्थिति मजबूत बनी। इसकी गतिविधियां असम गण परिषद (ए.जी.पी.) के पहले शासन (1986-90) में तेज हो गयी थीं, उल्फा ने हिंसा, जबरन वसूली, अपहरण आदि में हिस्सा लिया। उन्होंने समांनांतर सरकार बनाई थी और कारोबारियों से कर वसूली भी की। उल्फा ने शिकायत की कि असम भारत का उपनिवेश बन गया था। अन्य क्षेत्रों के विकास के लिये इसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता था। असम के राज्य शासकों को प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक संसाधनों के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं किया जाता था। राज्य में औद्योगिक निवेश में भेदभाव किया गया था। 1993 में हितेश्वर सैखिया सरकार ने

आत्म समर्पण करने वाले उल्फा के सदस्यों को माफी दी थी। ये उल्फा या सुल्फा के नाम से जाना गया। राज्य और केन्द्र सरकारों ने उल्फा सदस्यों पर जबरदस्ती बल प्रयोग किया, क्योंकि वे जबरन वसूली करने में लगे थे। सरकार ने उन्हें 'ऑपरेशन बजरंग'' और ऑपरेशन राइनो नामक नीतियों द्वारा निशाना बनाया।

6.4.4 कार्बी और डिमासा काचारी स्वायत्ता आंदोलन

असम के उत्तर कचार पहाड़ी जिलों की दो जनजातियाँ कार्बी और डिमासा काचरिया भी स्वायत्ता की माँग कर रही हैं। प्रारंभ में इन दोनों जनजातियों ने असम आंदोलन (1979-1985) में भाग नहीं लिया था। ना ही उन्होंने पहाड़ी राज्यों की माँग का समर्थन किया जो बाद में असम से अलग मेघालय राज्य बना था। मेघालय के अलग राज्य बनने के पूर्व 1970-1972 के बीच यह स्वायत्त राज्य था। 1960 के दशक से ही ये दोनों जनजातियां स्वायत्त परिषद की सीमाओं की शिकायत कर रही थीं जो कि छठी अनुसूची की अंतर्गत बनाई गई थी। वास्तम में कर्बी ऐंगलोंग जिले में स्वायत्त परिषद एक सबसे पुरानी परिषद है जो कि 1951 से ही विद्यमान है। दो सबसे पुरानी स्वायत्त परिषद नागालैण्ड और मिज़ोरम थीं जो 1963 और 1987 में अलग राज्य बने। कार्बी और डिमासा काचारी समुदायों ने अपनी माँग ए.जी.पी. के गठन के बाद उठाई। इसी के साथ बोडो आंदोलन भी तेज हो गया था। कार्बी और डिमासा कचारी स्वायत्ता की माँग का समर्थन ए.एस.डी.सी (स्वायत्त राज्य माँग) जैसे संगठन ने किया था। उनके आंदोलन का प्रमुख कारण 1985 में हुए असम समझौते के बाद हुआ। मोनीरूल हसन के अनुसार, कॉंग्रेस के पतन के बाद ही 1987 में ए.जी.पी. को विधानसभा चुनावों में जीत हासिल हुई थी, इसने इन दोनों जनजातियों को अलग-थलग कर दिया। पहले इनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस तथा वामपंथी दलों में था। कार्बी समुदाय की माँग थी कि राज्य के भीतर ही प्रशासनिक इकाई को स्वायत्त परिषद में बदल देना चाहिए। कर्बी को कर्बी जनजाति को ऐंलोंग स्वायत्त परिषद में स्वायत्ता प्रदान की गई जिसमें 26 सीटें हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) मेघालय को 'राज्य के अंदर राज्य' (1971-72) में क्यों जाना जाता हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) 2020 के बोडो समझौते के मुख्य पहलू कौन से थे?

.....

.....

.....

3) कार्बी-डिमासा काचरी स्वायत्त आंदोलन की विशेषताओं की चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.5 सारांश

स्वायत्ता आंदोलन किसी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक मामलों में अपने स्वायत्ता प्राप्त करने के लिए सामूहिक आंदोलन होते हैं। ऐसी स्वायत्ता का प्रयास ऐसे राज्य और क्षेत्रों के बीच संघीय इकाइयों के बीच संबंधों के पुनर्विन्यास के लिए किया जाता है, जो स्वायत्ता चाहते हैं। जो क्षेत्र स्वायत्ता चाहते हैं उनकी स्वायत्ता की माँग हमेशा प्राथमिक माँग नहीं होती है। कई मामलों में उनकी प्राथमिकता अलग राज्य बनाने की माँग होती है लेकिन आंदोलन के बढ़ते क्रम में नये निर्माण की माँग समाप्त हो जाती है और ऐसे आन्दोलनों को प्राथमिकता एक स्वायत्ता प्राप्त करने में बदल जाती है। भारत में स्वायत्ता के आंदोलनों के प्रमुख उदाहरणों में बोडोलैण्ड, आंदोलन और कार्बी, डिमासा काचारी आंदोलन शामिल हैं। असम राज्य के अंतर्गत मेघालय का एक स्वायत्त राज्य के रूप में मेघालय का (1971-72) 'राज्य के अंदर राज्य' बनना एक अभूतपूर्व उदाहरण था। यद्यपि, खासी, जेतिंया और गारो पहाड़ी इलाकों के लोगों ने अलग राज्य की माँग की थी लेकिन केन्द्र सरकार ने अलग राज्य के बजाय (1971-72 में) स्वायत्त राज्य प्रदान किया और 1972 में स्वायत्त राज्य को अलग राज्य मेघालय में तब्दील कर दिया गया था। स्वायत्ता आंदोलन की शुरुआत सामान्यतः मुखर लोगों के द्वारा की जाती है। इसका प्रमुख कारण था उनके क्षेत्र में लोग उस समय की सरकार के खिलाफ थे। स्वायत्ता आंदोलन के पीछे मुख्य कारण किसी क्षेत्र के लोगों का यह मानना होता है कि उनके खिलाफ सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आधार पर दूसरे क्षेत्रों या सरकार द्वारा भेदभाव किया जाता है। उनका मानना होता है कि स्वायत्ता मिलने के बाद उनके साथ हो रहे भेदभाव को दूर किया जा सकता है और उनका विकास किया जा सकता है।

6.6 संदर्भ

बरूआ, संजीब (1999) *इंडिया अगेंस्ट इटसैल्फः असम एण्ड द् पोलिटिक्स ऑफ नेशनलिटी,* दिल्ली, ओ. यू. पी.।

बठारी, उत्तम (2015), ''द केस ऑफ कर्ब-डिमासा आटोनोमी मूवमेंट'', इन संध्या गोस्वामी (एड) *ट्रबल्ड डावरसिटीः पोलिटिकल प्रोसेस इन नोर्थईस्ट इंडिया,* ओ. यू. पी., न्यू दिल्ली।

भट्टाचार्य, दिपांकर (1993), ''कार्बी ऐंगलोंग रीविजिटेड'' *ई.पी.डब्ल्यू.,* अगस्त, 28।

चौबे, एस. के. (1999), *हिल पोलिटिक्स इन नोर्थईस्ट इंडिया,* हैदराबाद, ओरियंट लोगंमैन।

दास, समीर कुमार (1994), *उल्फा यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असमः ए पोलिटिकल एनालिसिस,* दिल्ली, अजन्ता।

गोहांई, हिरेन (2019), *स्ट्रगलिंग इन ए टाइम वॅफः ऐसे एण्ड आब्जरवेशंस ऑन द् नोर्थईस्ट हिस्ट्री एण्ड पोलिटिक्स विद् पार्टिकुलर रिफरेंश टू असम,* गोहाटी, भबानी बुक एण्ड गिफ्टस।

हुसैन, मोनिरूल (1987), ''ट्राईबल मूवमेंट फोर आटोनोमस स्टेट इन असम'' *ई.पी.डब्ल्यू.,* असस्त 8, पी.पी. 1329-32।

हुसैन, वस्वीर (2020), हाऊ द् बोडो एकोर्ड वाज अकंपलिस्ड, एस्टोब्लेसिंग ए वाईडर टेम्पलेट फोर पीस इन द् नोर्थईस्ट, *द् टाईम्स ऑफ इंडिया,* फरवरी, 06, 2020।

6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) स्वायत्ता आंदोलन लोगों की सामूहिक कार्यवाही होती है जो कि किसी क्षेत्र में स्वायत्ता प्राप्त करने के लिए चलाये जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र की स्वायत्ता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय में भाग लेने के लिए क्षेत्र के निवासियों को स्वायत्ता मिलती है।

2) स्वायत्ता आंदोलनों की निम्नलिखित विशेषताऐं हैंः- वे उन क्षेत्रों में पनपते हैं जहाँ उनके साथ अन्य क्षेत्रों या सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक पहलूओं में भेदभाव महसूस किया जाता है। इसकी माँग आमतौर पर समाज के प्रभुत्व वर्ग द्वारा उठाई जाती है।

अभ्यास प्रश्न 2

1) 1970-72 से 'राज्य के अंदर राज्य' के नाम से मेघालय को जाना जाता है, क्योंकि यह एक पूर्ण राज्य के रूप में नहीं था बल्कि इसे असम में कुछ मुद्दों पर निणर्य लेने की स्वायत्ता प्राप्त थी। इस राज्य में एक स्वायत्त राज्य का दर्जा था जिसकी कार्यकारी शक्ति असम के राज्यपाल में थी। और उसकी सहायता के रूप में मंत्रीपरिषद थी। मेघालय की स्वायत्त स्थिति में सार्वजनिक व्यवस्था, सशस्त्र पुलिस, रेलवे पुलिस, उद्योग, और बिक्री कर को छोड़कर अन्य विषयों पर कानून बनाने की शक्ति थी। मेघालय और असम के विधायीकोश को कृषि, वन, परिवहन संचार और जलमार्ग पर समवर्ती अधिकारिता मिली।

2) 2020 के बोडो समझौते के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार थेः- 1993 से 2003 के बीच के पहले दो बोडो समझौतों के विपरीत 2020 बोडो समझौते में भारत सरकार और असम सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी बोडो समूहों को शामिल किया गया था। 2003 में बी.टी.ए.डी. की स्थापना बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला के स्थान पर की गई। हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने हिंसा को समाप्त करने और प्रगति तथा विकास के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता ली। बी.टी.आर. के इस समझौते को अधिक विधायी कार्यपालिका, वित्तिय शक्तियों का सुझाव दिया। असम सरकार के लिए बी. टी.आर. के अंतर्गत क्षेत्रों के विकास के लिए तथा इसके लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 250 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित करना आवश्यक बना दिया तथा बीटीआर की सीटों को 40 से बढ़ा कर 60 कर दिया गया।

3) असम के पहाड़ी जिलों कार्बी ऐंगलोंग और उत्तरी काधार पहाड़ियों कार्बिस और डिमासा काचारी के पहाड़ी में दो जनजातियाँ असम राज्य के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की माँग करती हैं। यह माँग 1987 में ए.जी.पी. सरकार की स्थापना के बाद उत्पन्न हुई।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY